न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया, आई.ए.एस.

विविध प्रार्थना पत्र संख्या–43 / 2022
जी.सी.एम.एस.पोर्टल संख्या–2022 / 228

प्रार्थी **बनाम**

अधीक्षण अभियन्ता,राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम लिमिटेड मेडतासिटी जिला नागौर।

अप्रार्थीगण

1. प्रेमचन्द पुत्र श्री सुरजाराम आयु 59 वर्ष निवासी ग्राम बालवा तहसील व जिला नागौर हाल निवासी श्रीराम कोलोनी नागौर तहसील व जिला नागौर (राजस्थान)
2. रामपाल पुत्र श्री मोहनदास आयु 72 वर्ष निवासी ग्राम बालवा तहसील व जिला नागौर (राजस्थान)
3. भैरूसिंह पुत्र श्री बुडसिंह आयु 48 वर्ष निवासी ग्राम बालवा तहसील व जिला नागौर (राजस्थान)
4. सुरजाराम पुत्र श्री लालूराम आयु 92 वर्ष निवासी ग्राम बालवा तहसील व जिला नागौर हाल निवासी श्रीराम कोलोनी नागौर तहसील व जिला नागौर (राजस्थान)
5. प्रेमदास पुत्र श्री मगनदास आयु 54 वर्ष निवासी ग्राम बालवा तहसील व जिला नागौर (राजस्थान)
6. हुक्माराम पुत्र श्री मंगलाराम आयु 50 वर्ष निवासी ग्राम बालवा तहसील व जिला नागौर (राजस्थान)
7. खेराजसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री लालसिंह आयु 36 वर्ष निवासी ग्राम बालवा तहसील व जिला नागौर (राजस्थान)

उपस्थितः–
1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री गोविन्द प्रकाश सोनी।
2. अप्रार्थी की ओर से वकील श्री जितेन्द्र कुमार।

आदेश दिनांक 19-07-2022

1–वकील प्रार्थी ने श्रीमान् सिविल न्यायाधीश नागौर द्वारा दी.वि.प्र.सं.–25 / 2022 प्रेमचन्द वगैरह बनाम अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जरिये अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.05.2022 के कम में माफिक निर्णय मुआवजा आपत्ति निस्तारण हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

1(1)–वकील अप्रार्थी श्री जितेन्द्र कुमार ने न्यायालय में उपस्थित होकर कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में बहस वकील श्री महेन्द्र शर्मा द्वारा की जावेगी, का कथन करते हुए बहस हेतु अवसर चाहा।

जिसका वकील प्रार्थी श्री गोविन्द सोनी द्वारा पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि रेलवे पथ के विधुतीकरण का प्रार्थीगण द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिस कार्य को जून 2022 तक पूर्ण की जानी थी, जिसमें अत्यधिक विलम्ब हो चुका है। प्रार्थीगण का कार्य रूका हुआ है, जिससे सरकार को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। जहां तक प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से बहस करने का प्रश्न हो तो उक्त संबंध में निवेदन है कि श्री जितेन्द्र कुमार के भी हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत वकालतनामा पर हस्ताक्षर किये हुए है तथा वह अप्रार्थीगण की ओर से बहस करने हेतु समक्ष है। वकील अप्रार्थी जानबूझ कर इस प्रकरण में बहस नहीं कर प्रकरण को लम्बित रखना चाहते है। इसलिए यदि वकील अप्रार्थी आज बहस नहीं करते है तो उनके द्वारा प्रस्तुत जबाब के आधार एवं प्रार्थीगण की बहस सुनी जाकर प्रकरण में विधिवत आदेश प्रदान करने का निवेदन किया । हस्तगत प्रकरण में वकील प्रार्थी के उक्त कथन उचित होने वकील प्रार्थी का निवेदन स्वीकार किया जाता है।

2–वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी विभाग व्दारा 132 केवी विधुत लाईन का कार्य भारतीय रेल्वे पथ का विधुतीकरण हेतु किया जा रहा है जो कि भारत सरकार की जनहित हेतु एक अति महत्वपूर्ण परियोजना है। जिसका निर्माण कार्य 132 केवी गोगेलाव जी.एस.एस से रेल्वे टी.एस.एस. भदवासी तक किया जा रहा है एवं जिसका कार्य वर्तमान में निर्माणाधीन है। उक्त लाईन की निर्माण कार्य संबंधित मोनिटरिग प्रधान मंत्री कार्यालय (पी.एम.ओ) भारत सरकार द्वारा की जा रही है।

2(1)–उक्त 132 केवी विधुत लाईन 132 केवी जी.एस.एस गोगेलाव से निकलकर ग्राम बालवा से होते हुए रेल्वे टी.एस.एस.भदवासी तक जा रही है। उक्त लाईन के टावर संख्या 9 खसरा नम्बर 349 में, टावर संख्या 10खसरा नम्बर 348 में, टावर संख्या 11 खसरा नम्बर 328 में, टावर संख्या 12 खसरा नम्बर 324 व 329 में, टावर संख्या 13 खसरा नम्बर 322 में एवं टावर संख्या 14 खसरा नम्बर 321 में स्थित होना अप्रार्थी द्वारा बताया गया है। उक्त लाईन के टावर संख्या 8 से 14 तक टावर खडे होने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं टावर संख्या 9 से 12 तक तार खीचने का कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है, टावर संख्या 12 से 14 तक तार खीचना शेष है।

2(2)–उक्त कार्य के दौरान दिनांक 10.5.2022 को अप्रार्थी व्दारा माननीय न्यायालय सिविल जज नागौर के समक्ष स्थगन प्रार्थना पत्रसंख्या 25/2022 पेश किया गया था, जिसमें दिनांक 31.5.2022 को हुए आदेश में लिखा गया है कि प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया है कि प्रार्थीगण जिला मजिस्ट्रेट नागौर के समक्ष अप्रार्थी के व्दारा मुआवजा राशि बाबत/भूमि के उपयोग में कमी आने बाबत/वैकल्पिक रास्ता होने बाबत/लाईन के अलाइमेन्ट बाबत व अन्य आपतियो बाबत जिला मजिस्ट्रेट से निष्कर्ष प्राप्त करने के पश्चात विधि अनुसार कार्यवाही करेगे।

2(3)–उक्त 132 केवी विधुत लाईन भारतीय रेल्वे पथ का विद्युतीकरण हेतु किया जा रहा है जो कि भारत सरकार के जनहित हेतु एक अतिमहत्वाकांक्षी परियोजना है तथा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में भी यह माना है कि अगर अस्थायी निषेधाज्ञा के व्दारा 132केवी हाइटेंशन लाईन डालने से रोका जाता है तो उससे आम जनता को काफी असुविधा होने की संभावना है। क्योकि 132 केवी हाईटेंशन लाईन की परियोजना आम जनता के हित के लिए की जा रही है। यह परियोजना जून 2022 तक पूर्ण की जानी है। इस परियोजना में कुल 38 टावरो में से 37 के फाउण्डेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 38 में से 18 टावरो को खडा भी किया जा चुका है साथ ही 7 टावरों पर तार खीचने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

2(4)–उपरोक्त संबंध में प्रार्थी का स्पष्ट जबाब शुरू में ही रहा है कि विभाग भूमि अवाप्त ही नहीं कर रहा, भूमि का स्वामी तो खातेदार ही रहेगा विभाग मात्र लाईन खीचने हेतु टावर खडा कर रहा है। जमीन का उपयोग अप्रार्थी ही करते रहेगे। अप्रार्थीगण जमीन पर काश्त करने को स्वतंत्र है एवं लाईन के अलाईमेन्ट वगैरा के बारे में बताना चाहेगे कि सम्पूर्ण लाईन तकनीकी सर्वे के बाद ही कम से कम

कलक्टर, नागौर

दूरी वाले पथ पर लाईन डाली जा रही है इसलिए कुछ खम्भो का मार्ग बदलना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। इसलिए न्यायालय द्वारा अन्य रास्ते की बात भी संभव नहीं है। क्योकि प्रार्थी लघुतम मार्ग पर ही तकनीकी सर्वे की स्वीकृति के अनुसार कार्य कर रहे है। अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का नुक्सान कारित नहीं हो रहा है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण में प्रचलित किन्हीं नियमो/अधिनियमो के तहत भूमि के संबंध में मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। उपरोक्तानुसार अप्रार्थी द्वारा भूमि के मुआवजे की मांग गलत है। भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 अनु. 164 एवं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत ही कार्य कर रहे है। इसलिए न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय नागौर के आदेश दिनांक 31.5.2022 के सन्दर्भ में प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किये जाने का कथन करते हुए, ग्राम बालवा के खसरा नम्बर 349, 348, 328, 324, 329, 322, 321, 350, 354 में विद्युत टावर खड़े करने, तार खींचने/लाईन डालने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया है।

3–वकील अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में बहस की कार्यवाही में भाग नहीं लिया है। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब में कथन किया गया है कि प्रार्थी विभाग द्वारा 132 केवी विद्युत लाईन का कार्य भारतीय रेल्वे पथ का विधुतीकरण हेतु किया जा रहा है जो कि भारत सरकार की जनहित हेतु एक अतिमहत्वपूर्ण परियोजना है जिसका निर्माण कार्य 132 केवी गोगेलाव जीएसएस से रेल्वे टी एसएस भदवासी तक किया जा रहा है व उक्त लाईन के निर्माण कार्य संबंधित मोनिटिरिग प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार व्दारा की जा रही है, आदि समस्त तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थीगण स्वयं साबित करे।

3(1)–टावरो का निर्माण अप्रार्थीगण के खेतो में किया जा रहा है तथा टावर का निर्माण एवं तार खेचने का कार्य रातोरात न्यायालय के आदेश होने की रात को अवैध रूप से किया गया है तथा सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध रूप से की गई है तथा प्रार्थी के सर्वे के विपरीत जाकर सम्पूर्ण कार्यवाही की जा रही है।

3(2)–आवेदन पत्र की मद संख्या 3 में दर्ज तथ्य से विरोध नहीं।

3(3)–यह गलत है कि उक्त विधुत लाईन आमजनता के हित में की जा रही है तथा जनहित की योजना हो। जनहित की योजना में आमजन के हित में कार्य किया जाता है तथा किसी भी व्यक्ति को ऐसे कार्य से किसी प्रकार की क्षति कारित नहीं की जा सकती है। टावरो का निर्माण व विधुत लाईन का निर्माण टेलीग्राफ एक्ट के प्रावधानो के विपरीत जाकर की जा रही है तथा सर्वे के विपरीत जाकर की जा रही है तथा ऐसी लाईन के निर्माण से अप्रार्थीगण के खेतो को भारी नुक्सान कारित होगा तथा खेत पूर्ण रूप से उपयोगहीन हो जायेगे ऐसी स्थिति में बिना भूमि अवाप्त किये व बिना मुआवजा अदा किये प्रार्थी को टावर निर्माण व लाईन डालने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं है तथा मौके पर निर्माण सर्वे अनुसार नहीं किया जा रहा है।

3(4)–विभाग द्वारा जो टावर का निर्माण करवाया जा रहा है, वह टावर का निर्माण 25 गुणा 25 की चोडाई में लगना है जिसके लिए पोल के फाउण्डेसन हेतु जमीन में आरसीसी का फाउण्डेसन लगाया जाता है तथा खेत की भूमि को खोदकर उसमें आरसीसी का फाउण्डेसन निर्माण कर उसके उपर टावर का निर्माण किया जाता है जो टावर खड़े किये जाते है जहां पर फाउण्डेसन का निर्माण किया जाता है उसका उपयोग खातेदार व्दारा किया जाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं होता है तथा उक्त भूमि में निर्माण होने के कारण भूमि कृषि योग्य नहीं रहती है साथ ही विधुत लाईन का वायर करीब 30 फीट की उचाई में रहते है जिसमें 132 केवीए पावर का करन्ट प्रवाहित होता है जिसका हवाई करन्ट वायर से 6 मीटर के व्यास तक अर्थात करीब 25 से 30 फीट तक रहता है ऐसी स्थिति में उक्त विधुत लाईन के नीचे भी खेती की जाना संभव नहीं है। क्योकि विधुत लाईन हाई पावर की होती है तथा हर समय करन्ट प्रवाहित रहने के कारण विधुत लाईन के नीचे से हाई पावर करन्ट खेती के उपकरणो को अपनी ओर खेच लेता है व जनहानि होने की हमेशा संभावना रहती है तथा उक्त विद्युत लाईन के दोनो तरफ

कलक्टर, नागौर

15 से 20 मीटर तक किसी भी प्रकार का निर्माण भी नहीं किया जा सकता है भविष्य में भी उक्त भूमि पूर्ण रूप से उपयोगहीन हो जाती है। जिसका भविष्य में किसी प्रकार का उपयोग नहीं होगा साथ ही अप्रार्थीगण के खेतो में रहवासी ढाणियां बनी हुई है जिनमें परिवार सहित निवास करते है तथा विधुत लाईन डालने से ढाणियों में रहना भी संभव नहीं होगा ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण खेत ही उपयोगहीन हो जायेगे तथा भविष्य में उक्त खेतो का विक्रय भी नहीं होगा। उक्त शहर नागौर की आबादी के पास ही स्थित है तथा पास में ही रीको एरिया है तथा भविष्य में उक्त खेतो की और आबादी बढ़ने की संभावना है एवं नगरपरिषद नागौर द्वारा जो आवासीय प्रयोजना अहिछत्रपुर कोलोनी प्रस्तावित की गई है उसके पास ही है। इसलिए भविष्य में उक्त भूमि के आस पास आबादी निवास करेगी जिसको भी नुक्सान होने की पूर्ण संभावना होगी। प्रार्थी द्वारा सर्वे के विपरीत जाकर उक्त विधुत लाईन डाली जा रही है तथा टावर संख्या 9 से 12 सर्वे में एकदम सीधे एक लाईन में बताये गये है जबकि मौके पर उक्त टावर संख्या 9 से 12 एक सीध मे नहीं लगाये जाकर घुमाव देकर लगाये जा रहे है। सर्वे के अनुसार लगाने पर टावर संख्या 9 से 12 अप्रार्थीगण के खेतो में नहीं आयेगे बल्कि खेतो से बाहर होकर निकलेगे ऐसी स्थिति में विधुत लाईन का निर्माण तकनीकी सर्वे के अनुसार नहीं किया जाकर मनमर्जी अनुसार किया जा रहा है। साथ ही भूमि का उपयोग किया जा रहा है जिससे भूमि उपयोगहीन होगी तथा किसी प्रकार का उपयोग नहीं किया जा सकेगा इस कारण से उपयोग में ली गई भूमि तथा विधुत लाईन से खराब होने वाली भूमि का मुआवजा अप्रार्थीगण विधि अनुसार प्राप्त करने के अधिकारी है तथा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 10 में स्पष्ट रूप से प्रावधान दिया गया है कि मुआवजा राशि अदा करने के पश्चात ही विधुत लाईन डालने का कार्य किया जायेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत जाकर की जा रही है व मुआवजा दिये बिना प्रार्थी को ऐसी विधुत लाईन डालने का कोई अधिकार नहीं है।

3(5)–विधुत लाईन मौके पर सीधी डालनी है परन्तु प्रार्थी द्वारा घुमाव देकर डाली जा रही है जिस कारण ग्राम बालवा की आबादी का कार्य से हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति देगी। इस प्रकार से धारा 10 में स्पष्ट रूप से क्षतिपूर्ति अदा करने का का आदेश दिया गया है तथा 10 (डी) के तहत प्रदत शक्तियो का प्रयोग करने पर मौक पर किसी प्रकार का प्रतिरोध या अवरोध किसी के द्वारा किया जाता है तो धारा 16 के तहत मामला जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष रखा जायेगा जिनके व्दारा धारा 10 के तहत मुआवजा राशि अदा करने पर ही व आपति आने पर निस्तारण करने का अधिकार श्रीमान जिला कलक्टर को दिया गया है ऐसी स्थिति में आपतियो का निस्तारण श्रीमानजी के समक्ष किया जायेगा। चूंकि भूमि की उपयोगिता समाप्त होगी तथा कमी आयेगी एवं टावर का निर्माण हेतु फाउण्डेसन का निर्माण किया जाना है जो भूमि कृषि कार्य से पूर्णतया बाधित हो जायेगी इसलिए भूमि की उपयोगिता समाप्त हो जायेगी जिसके लिए मुआवजा राशि दिलवायी जाना आवश्यक है। बिना मुआवजा के अप्रार्थीगण के खेतो की भूमि विधि अनुसार उपयोग में नहीं ली जा सकती है। ऐसी स्थिति में मुआवजा राशि अदा किये बिना टावर निर्माण व विधुत लाईन का निर्माण नहीं किया जा सकता है तथा धारा 10 टेलीग्राफ एक्ट में क्षतिपूर्ति हेतु स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है ऐसी स्थिति में बिना क्षतिपूर्ति किये निर्माण करने की अनुमति किसी प्रकार से दी जाना संभव नहीं है।

3(6)–प्रार्थी द्वारा विधुत लाईन का निर्माण सर्वे के विपरीत जाकर किया जा रहा है साथ ही टावर का निर्माण फाउण्डेसन जमीन में आरसीसी का निर्मित कर किया जा रहा है जिसमें कृषि भूमि का उपयोग लिया गया है जिसके संबंध में राजस्व टीम गठित कर एवं तकनीकी रूपसे रिपोर्ट मंगवायी जानी आवश्यक है तथा सर्वे के संबंध में तथा विधुत लाईन के मार्ग के संबंध में तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करवायी जानी आवश्यक है ताकि सम्पूर्ण वस्तुस्थिति न्यायालय के समक्ष प्रकट हो सके साथ ही उपयोग में ली गई भूमि के संबंध में राजस्व टीम से मौका रिपोर्ट व भूमि के उपयोग के संबंध में रिपोर्ट तलब की जाना आवश्यक है तथा प्रार्थी द्वारा किये गये सर्वे की रिपोर्ट भी तलब की जाना व प्रस्तुत करवायी

कलक्टर, नागौर

जाना आवश्यक है ताकि श्रीमानजी के समक्ष सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो सके व सर्वे रिपोर्ट व मौके पर रिपोर्ट व डाली जा रही लाईन की तकनीकी रिपोर्ट से सम्पूर्ण वस्तुत स्थिति प्रकट हो सके तथा विधुत लाईन सर्वे के अनुसार डाली जा रही है या नहीं यह भी रिपोर्ट श्रीमानजी के समक्ष स्पष्ट हो सकेगी तथा सम्पूर्ण विवाद बिन्दू तय करने में सहायता प्राप्त हो सकेगी इसलिए सम्पूर्ण रिपोर्ट तलब की जाना आवश्यक है ताकि सम्पूर्ण वस्तु स्थिति स्पष्ट हो सके।

3(6)–प्रार्थी से सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करवायी जाकर विधुत लाईन के मौके की तकनीकी रिपोर्ट किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी से वास्तविक रिपोर्ट सर्वे के अनुसार लाईन डाली जा रही है या नहीं मंगवायी जानी एवं मौके की सम्पूर्ण तकनीकी रिपोर्ट एवं टावर में उपयोग में ली गई भूमि में विधुत में विधुत लाईन से प्रभावित भूमि के संबंध में राजस्व कर्मचारियो से रिपोर्ट लेने के पश्चात उपयोग में ली गई भूमि की मुआवजा राशि विधि अनुसार तय करते हुए एवं सर्वे व तकनीकी रिपोर्ट अनुसार मौक पर विधुत लाईन का निर्माण सर्वे अनुसार ही एकदम सीधा करने व बिना मुआवजा राशि अदा किये विधुत लाईन का निर्माण नहीं करने के संबंध में व उचित मुआवजा राशि दिलवाये जाने एवं तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार ही एवं सर्वे रिपोर्ट के अनुसार एकदम सीधी विधुत लाईन मुआवजा राशि अदा करने के पश्चात ही डालने बाबत व माननीय सिविल न्यायाधीश नागौर एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व्दारा पारित आदेश के अनुसार समुचित आदेश पारित किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

4–वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा सिविल न्यायाधीश महोदय नागौर द्वारा दी.वि.प्र.सं.–25/2022 प्रेमचन्द वगैरह बनाम राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर जरिये प्रबन्ध निदेशक व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.05.2022 के कम में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम बालवा के खसरा नम्बर 349, 348, 328, 324, 329, 322, 321, 350, 354 में विधुत टावर खड़े करने, तार खींचने/लाईन डालने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया है। अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया गया है। उक्त संबंध में कार्यालय संभागीय मुख्य अभियन्ता (प्र. एवं नि.) अजमेर की अधिसूचना दिनांक 27.05.2021 के अनुसार द्वारा उक्त कार्य करने हेतु संभागीय मुख्य अभियन्ता (प्र. एवं नि.) अजमेर/जयपुर/जोधपुर को उनके अधिकार क्षेत्र में बिजली के प्रसारण के लिए या काम के उचित समन्वय के लिए आवश्यक टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक संचार के उदेश्य से बिजली की लाईनों या बिजली संयत्रों का खड़ा करने के लिए मार्ग–अधिकार अर्थात राईट ऑफ वे की उपयुक्त मंजूरी जारी करने हेतु अधिकृत किया हुआ होने से संभागीय मुख्य अभियन्ता (प्र. एवं नि.) अजमेर द्वारा 132 के वी गोगेलाव से 132/25 के वी रेलवे टी एस एस भड़वासी (भदवासी) हेतु द्विपथीय टॉवर पर 132 के वी एकल परिपथ लाईन (लगभग 11.0 कि.मी) के निर्माण के लिए मार्ग–अधिकार अर्थात राईट ऑफ वे की उपयुक्त मंजूरी जारी की गई है। उक्त अधिसूचना का दिनांक 29.06.2021 को सांध्य ज्योति दर्पण अखबार में प्रकाशन भी किया गया। उक्त अखबार प्रकाशन उपरान्त उपरान्त 132 केवी विधुत लाईन बिछाये जाने का रूट अधीक्षण अभियन्ता राज.विधुत प्रसारण निगम मेड़तासिटी द्वारा पत्रांक–571 दिनांक 07.07.2021 को अनुमोदित कर दिया जो रूट मेप अनुसार उक्त रूट की लम्बाई 10.250 किलोमीटर है, जो तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त बताया गया है। भारतीय तार अधिनियम 1985 की धारा 10(ध) के अनुसार तारयंत्र प्राधिकारी विधुत खंभे लगाने, लाईन आदि बिछाने पर कम से कम नुकसान करने एवं नुकसान होने की दशा में तारयंत्र प्राधिकारी द्वारा हितबद्ध व्यक्तियों को नुकसान के लिए पूर्णप्रतिकर देने दिये जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान अनुसार नुकसान के लिए प्रतिकर देने हेतु तारयंत्र प्राधिकारी अधिकृत है। अधिनियम की धारा 16(3) के अनुसार धारा 10(ध) के तहत किसी व्यक्ति को दिये जाने वाले प्रतिकर की पर्याप्तता बाबत विवाद होने पर उक्त संबंध में आवेदन जिला न्यायाधीश महोदय के समक्ष आवेदन करने का प्रावधान है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी की भूमि को अवाप्त नहीं किया जा रहा है, भूमि का मालिक अप्रार्थी

कलक्टर, नागौर

ही रहेगा, उक्त संबंध में अधिनियम की धारा 10(b) the (central government) shall not acquire any right other than that of user only in the property under, over, along, across, in or upon which the telegraph authority places any telegraph line or post. उक्त प्रावधान से भी स्पष्ट कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी की भूमि को अवाप्त नहीं किया जा रहा है। भारतीय तार अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत भूमि का किसी भी प्रकार का मुआवजा देय नहीं है तथा अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई विधिक प्रावधान प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट हो की प्रार्थीगण द्वारा जिस स्थान पर उक्तानुसार टावर लगाने, तारलाईन खिचने पर अप्रार्थी को भूमि का मुआवजा देय होगा। नियमान्तर्गत उक्त कार्य के दौरान किसी प्रकार का फसल व फल आदि के वृक्षों का नुकसान अथवा उस सम्पति में स्थित किसी निर्माण का नुकसान होने पर ऐसे नुकसान का प्रतिकर दिये जाने का प्रावधान है। जहां तक टावर लगाने, विधुत तार खिंचने/लाईन डालने से पहले मुआवजा देने का प्रश्न है तो उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण द्वारा टावर लगाने, विधुत तार खिंचने/लाईन डालने आदि का कार्य करने के दौरान हुए नुकसान का ही प्रतिकर दिया जा सकता है, तो ऐसे नुकसान के प्रतिकर का निर्धारण भी कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही किया जा सकता है। जहां तक टावर की विधतु लाईन के नीचे खेती न कर पाने का प्रश्न है, तो उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि पथाधिकार (राईट ऑफ वे) की भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा काश्त की जा सकती है। जमीन से नीचले तार की न्यूनतम उचांई 6.1 मीटर रखी जाती है, जो तकनीकी रूप से सुरक्षित दूरी है। प्रार्थीगण द्वारा टावर लगाने, विधुत तार खिंचने/लाईन डालने के समय उक्त तकनीकी तथ्य को ध्यान में रखते हुए ही कार्य किया जाता है। जहां तक विधुत लाईन के परिवर्तन को लेकर अप्रार्थीगण का कथन है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि विवादित खसरान की भूमि में टावर संख्या 8 से 14 तक फाउण्डेशन व टावर खड़ा करने का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं टावर संख्या 9 से 12 तक तार खीचने का कार्यपूर्ण हो चुका है। टावर संख्या 8 से 9 तथा 12 से 14 तक तार खींचने का कार्य शेष है। इसके अलावा सम्पूर्ण लाईन तकनीकी सर्वे के बाद ही कम से कम दूरी वाले पथ पर डाली जा रही है, कुछ खम्भों का मार्ग बदलना तकनीकी रूप से संभव भी नहीं है। उक्त 132 केवी विद्युत लाईन बिछाये जाने आदि का कार्य भारतीय रेल्वे पथ का विधुतीकरण हेतु किया जा रहा है, जो भारत सरकार की जनहित में एक अति महत्वकांक्षी परियोजना है, जिसके तहत निर्माण कार्य 132 केवी गोगेलाव जीएसएस से निकल कर ग्राम बालवा/कृष्णपुरा से होते हुए रेल्वे टी.सी.एस.भदवासी तक जा रही है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा जबाब में की गई आपत्तिया ठोस आधारों पर होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

5–अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण को ग्राम बालवा के खसरा नम्बर 349, 348, 328, 324, 329, 322, 321, 350, 354 में भारतीय रेल्वे पथ का विधुतीकरण हेतु 132 केवी लाईन के टावर लगाने, तार खींचने/लाईन डालने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य के दौरान किसी प्रकार का नुकसान होने पर, नुकसान के संबंध में विधिक प्रावधानों अनुसार प्रतिकर राशि का निर्धारण किया जाकर अप्रार्थीगण को अदा किया जावे।

6–आदेश सुनाया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर नागौर
कलक्टर, नागौर